भारत सरकार
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **1915** जिसका उत्तर
मंगलवार, 16 दिसंबर, 2025 (25 **अग्रहायण**, **1947,(शक))** को दिया जाना है

आंध्र प्रदेश के पत्तनों में वहन-पत्र अधिनियम, 2025 को लागू करना

1915 **श्री मेदा रघुनाधा रेड्डी :**

क्या पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश राज्य के सभी प्रमुख और छोटे पत्तनों पर वहन-पत्र अधिनियम**, 2025** के प्रावधान लागू होंगे**;**

(ख) यदि हाँ**,** तो क्या पत्तन अधिकारियों और निर्यातकों के लिए प्रशिक्षण या क्षमता निर्माण मॉड्यूल की योजना बनाई गई है**;** और

(ग) विशाखापत्तनम और काकीनाडा पत्तनों पर व्यापार संभारतंत्र पर क्या प्रभाव पड़ने की अपेक्षा है**?**

उत्तर

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री
(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) से (ग): वहन-पत्र अधिनियम, 2025 दिनांक 10.09.2025 से प्रवृत्त हुआ है जो सभी पत्तनों पर लागू है। इस अधिनियम में प्रावधानों की भाषा सरल हुई है, जिससे स्पष्टता बढ़ी है, समझने में आसानी हुई है और विशाखापट्टनम और काकीनाडा सहित सभी पत्तनों में बेहतर लॉजिस्टिक्स के लिए अधिक सुचारू प्रवर्तन सक्षम हुआ है।

*****